

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 706 / 149 / आउशि / सम. / 2020
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30-9-20

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तिथि में वृद्धि बाबत।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.09.2020।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश की अनुमति तिथि में संशोधन किया गया है। तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. एच.एस.कर)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30-9-20

पृ.क्रमांक 707 / 149 / आउशि / सम. / 2020

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
email : higher-education@cg.gov.in

—0000—

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2020

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2020-21 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका में प्रवेश की अनुमति हेतु तिथि में वृद्धि ।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्र. 699/149/आउशि/सम./2020, दि. 29.09.2020

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29.06.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2/ कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति एवं छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति में संदर्भित ज्ञापन में निहित प्रस्तावनुसार उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका के बिंदु क्रमांक 2.2 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, दिनांक 15.10.2020 तक प्राचार्य स्तर से एवं 22.10.2020 तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सरोज उईके)

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग